प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–21.02.2026 को प्रधान सचिव के कार्यालय–कक्ष में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं की राज्यस्तरीय बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी में संधारित।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2026 को राज्यस्तरीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें विभाग के सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

राज्यस्तरीय बैठक में राज्य के कुल 101 भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं में से 89 पदाधिकारी उपस्थित हुए। फारबिसगंज, रक्सौल, जयनगर, बनमनखी, महनार, बेतिया, बगहा, भागलपुर, गोगरी, रजौली, दानापुर एवं पटना सिटी के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गए। अनुपस्थित पदाधिकारियों से कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव द्वारा निम्नांकित विषयों पर समीक्षा की गयी।

1. <u>मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा एवं जन–कल्याण संवाद</u> :– माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में आयोजित समृद्धि यात्रा एवं माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित जन–कल्याण संवाद कार्यक्रम पर चर्चा की गई। प्रशासन में पारदर्शिता लाते हुए भूमि विवाद को बैठक के माध्यम से हल करने तथा 31 जनवरी, 2026 तक आयोजित जन–कल्याण संवाद कार्यक्रम में प्राप्त हुए सभी आवेदनों को 31 मार्च, 2026 तक पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करते हुए निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

2. <u>राजस्व महाअभियान</u> :– विभिन्न अंचलों में राजस्व महाअभियान के क्रम में एकत्रित 46.00 लाख परिमार्जन प्लस/दाखिल–खारिज के लंबित आवेदनों का निष्पादन दिनांक–31.03.2026 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

महाअभियान में अरेराज, सिकरहना, मनीहारी, बेलसंड, निर्मली, सुपौल एवं जगदीशपुर में Total Applied शून्य पाया गया, इस प्रकार के निष्पादन में खेद प्रकट किया गया। साथ ही साथ सभी अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी/राजस्व कर्मचारी को अंचलों का अनुश्रवण एवं निरीक्षण कर कार्य में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।

3. <u>परिमार्जन प्लस</u> :– प्रधान सचिव द्वारा विशेष रूप से परिमार्जन प्लस की जानकारी दी गयी एवं बताया गया कि सही निष्पादन से राजस्व के सभी सेवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा यह जमाबंदी, म्यूटेशन, मापी, लगान एवं भूमि सम्परिवर्तन जैसे किसी भी सेवा के लिए मुख्य आधार है। इससे फार्मर रजिस्ट्रेशन समेत भूमि सर्वेक्षण में मदद मिलेगी। परिमार्जन का शुद्धता से पालन किया जाय एवं समय–सीमा (15/35/75 कार्य दिवस) में निष्पादन किया जाय, तो अंचल के रैंकिंग में भी सुधार होगा।

पी0पी0टी0 के माध्यम से परिमार्जन प्लस समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि बेनीपट्टी, बायसी, दाउदनगर, झंझारपुर एवं अरवल में काफी संख्या में आवेदन पेंडिंग रखा गया है। परिमार्जन प्लस में 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओ को विशेष अभिरूचि लेकर अंचलों में लंबित मामलों को निष्पादित कराये जाने का निदेश दिया गया।

4 <u>दाखिल–खारिज</u> :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेतिया, जयनगर, बेलसंड, सोनपुर एवं मधेपुरा में ऑनलाइन दाखिल–खारिज के निष्पादन का कार्य प्रतिशत काफी न्यूनतम रहा है। इनसे कारणपृच्छा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

5. <u>ई–मापी</u> :–प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मापी की प्रक्रिया केवल Online होगी आवेदक को रिपोर्ट देने के लिए अंचल कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं है। अमीन मापी के पश्चात Coordinate Photo (Geo-tagging) पोर्टल पर Upload करेंगें।

ऑकड़ो के विश्लेषण से यह पाया गया कि मसौढ़ी, बनमनखी, पटना सदर, पटना सिटी एवं आरा सदर अनुमंडलों में ई–मापी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं हैं।

सभी उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को यह निदेश दिया गया कि अपने–अपने अनुमंडलों में ई–मापी के लंबित मामलों की जाँच/अनुश्रवण में तेजी लायें। साथ–ही–साथ यह सुनिश्चित करें कि सभी अंचलों में अमीनों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो।

6. <u>BLDR Act के अन्तर्गत वादों के निष्पादन के संबंध में समीक्षा</u> :– उपस्थित भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं से BLDR Act के अन्तर्गत वादों के निष्पादन के संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया। आँकड़ों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवगछिया, जयनगर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मधेपुरा एवं मंझौल में ज्यादा संख्या में दायर वादों के निष्पादन में शिथिलता बरती जा रही है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि दायर वादों के निष्पादन में तीव्रता लाई जाय।

7. <u>राजस्व संग्रहण</u> :– ऑनलाइन लगान पेमेन्ट के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मढौरा, झंझारपुर, जयनगर, बिरौल एवं बेनीपट्टी में लगान वसूली का प्रतिशत औसत से काफी न्यून रहा है, जिसपर असंतोष प्रकट किया गया। अंचलों की समीक्षा करते हुए इसे शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 700 करोड़ के निर्धारित राजस्व संग्रहण लक्ष्य को आगामी 31 मार्च 2026 तक 100 प्रतिशत पूर्ण करने हेतु सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)–09/2026— 408 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 08/04/2026

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/अपर समाहर्त्ता, बिहार/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-mail

8.4.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)–09/2026— 408 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 08/04/2026

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.4.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)–09/2026— 408 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 08/04/2026

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.4.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।